

न्यायालय मू० अमिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला-पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS No 2023 /17

दायरा तिथि : 18.01.2023

फैसला तिथि : ०६-०२-२०२५

प्रार्थी:-

राजु देवासी उर्फ राजीग पुत्र श्री खंगार जाति राईका
निवासी देवासियों का बास, सादलवा तहसील बाली

बनाम

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

--: आदेश :-

दिनांक ०६-०२-२०२५

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा ग्राम सादलवा तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा 274/318 कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.3300 हैक्टर में दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम राजीग पुत्र खंगार को दुरस्ती के माध्यम से सही व वास्तविक नाम राजु देवासी पुत्र खंगार शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साध्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति, बिजली बिल, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड की प्रतियाँ पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि में त्रुटिपुर्ण नाम राजीग पुत्र खंगार दर्ज होने तथा प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम राजु देवासी पुत्र खंगार शुद्ध दर्ज होना स्वीकार किया तथा उक्त त्रुटि नामान्तरकरण दर्ज करने के दौरान होना स्वीकार करते हुये राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी के त्रुटिपुर्ण नाम राजीग पुत्र खंगार के स्थान पर राजु देवासी पुत्र खंगार शुद्ध किये जाने बाबत सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम राजु देवासी पुत्र खंगार शुद्ध है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड की प्रतियाँ पेश कर दी है। नामान्तरकरण के दौरान दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम राजीग पुत्र खंगार दर्ज है, जिससे उसके आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नाम को भी दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम सादलवा तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा 274/318 कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.3300 हैक्टर में दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम राजीग पुत्र खंगार को दुरस्ती के माध्यम से सही व वास्तविक नाम राजु देवासी पुत्र खंगार शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकॉर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, कोटवालियान को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



आदेश आदि दिनांक ०६-०२-२०२५ को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्री भागीरथ राम
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
मू० अमिलेख अधिकारी (पीठासीन)
(एस डी ओ) बाली

(श्री भागीरथ राम
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
मू० अमिलेख अधिकारी
(एस डी ओ) बाली